APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......रमेश चंद......बनाम......सरकार......

केस्म मुकदमा......136......नं. ......149......सन्......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/25	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में प्रार्थी रमेशचंद पुत्र भूरालाल की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भीलोत की जमाबंदी खाता संख्या 17 में प्रार्थी की बहनों का नाम चन्दर बाई पुत्री भूरा व लाडकंवर बाई पुत्री भूरा दर्ज है। जबकि प्रार्थी की बहनो का असली एवं सही नाम चन्द्रकला बाई पुत्री भूरा व लाडकॅवर खटाना पुत्री भूरा दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही दर्ज किये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के सम्बंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा चन्द्रर बाई पुत्री भूरा व लाडकॅवर बाई पुत्री भूरा का राजस्व रिकॉर्ड में नाम क्रमशः चन्दरबाई उर्फ चन्द्रकला बाई पुत्री भूरा व लाडकॅवर बाई उर्फ लाडकॅवर खटाना पुत्री भूरा किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भीलोत की जमाबंदी खाता संख्या 17 में चन्द्रर बाई पुत्री भूरा के स्थान पर चन्दरबाई उर्फ चन्द्रकला बाई पुत्री भूरा व लाडकॅवर बाई पुत्री भूरा के स्थान पर लाडकॅवर बाई उर्फ लाडकॅवर खटाना पुत्री भूरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिंनाकः 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में सुनाया गया। (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा	